

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करौली जिला करौली (राज0)

पीठासीन अधिकारी -राजेन्द्र कुमार गोयल R.A.S.

तारीख रजू 10.05.2017

दर नं0 09/2017

उनवान

प्रकाशचंद पुत्र सुआलाल जाति महाजन निवासी भूडारा बाजार तहसील करौली जिला करौली (राज0)

सायल

बनाम

01- कैलाश चंद शर्मा (वैद्य) पुत्र केदारनाथ जाति ब्राह्मण निवासी धन्वतरी नगर , हाथीघटा के पास ,
पैट्रोल पंप के सामने , करौली तह0 करौली जिला करौली (राज0)

02- तहसीलदार , लैण्ड होल्डर , करौली

गैर सायलान

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 RT Act

दिनांक : 21/11/2017

निर्णय

यह कि सायल की ओर से प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 RT Act के तहत विद्वान अधिवक्ता श्री भरतसिंह द्वारा दिनांक : 10.05.2017 को प्रस्तुत किया गया जिसमें निवेदन किया गया कि आराजी खसरा नंबर 5393 , 5394 कुल किता 02 कुल रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा बाके कस्बा करौली हाथीघटा के पास नेशनल हाईवे 11 बी से लगी हुई भूमि सायल के खाते व कब्जे काश्त की होकर इस भूमि पर मंदिर गोविन्द देवजी की ओर से दावा उनवानी मंदिर गोविन्द देवजी बनाम प्रकाश

चंद बगै0 के विरुद्ध दावा नंबर 11/94 , 68/2001 , 365/2002 इस न्यायालय में पेश हुआ दावा सायल डिक्री किया जाकर विवादित भूमि का खातेदार काश्तकार मंदिर गोविन्ददेवजी को किया गया । दावे के साथ दर0 रिसीवरी भी न्यायालय में पेश हुई जिसका मु0नं0 07/1994 है रिसीवरी का निर्णय इस न्यायालय द्वारा दिनांक : 12.02.1999 को करते हुए उक्त विवादित भूमि का सायल सं0 02 तहसीलदार करौली को रिसीवर नियुक्त किया जाकर सायल को प्रति फसल 1000/- कैंश सिक्कूरिटी प्रति फसल के हिसाब से प्रतिवर्ष जमा कराने के आदेश होने पर सायल ने प्रतिवर्ष फसल कैंश सिक्कूरिटी जमा कराई । दावे के निर्णय के विरुद्ध सायल ने राजस्व अपील अधिकारी व समक्ष दायर अपील 18.06.2012 को खारिज होने के बाद राजस्व मण्डल अजमेर में अपील प्रस्तुत की जिसमें पारित निर्णय दिनांक : 14.09.2016 से न्यायालय उप जिला कलक्टर करौली एवं राजस्व अपील अधिकारी सवाईमाधोपुर के निर्णयों को अपास्त कर सायल को खातेदार काश्तकार घोषित किया । उक्त निर्णय के पश्चात् प्रार्थी ने विवादित भूमि पर कब्जा एवं सिक्कूरिटी राशि वापस लौटाने हेतु पेश किए गए प्रार्थना पत्र पर सायल को दिनांक : 29.11.2016 को गैर सायल नं0 02 तहसीलदार करौली द्वारा उक्त विवादित भूमि पर कब्जा संभलवाया , जबकि सिक्कूरिटी के रूप देने की कार्यवाही लंबित है । दिनांक : 12.02.1999 के पश्चात् कब्जा संभलवाने की तिथि दिनांक : 28.11.2016 तक उक्त विवादित भूमि रिसीवर गैर सायल नं0 02 तहसीलदार करौली के प्रबंधन में थी । उक्त भूमि की देख-रेख व जिम्मेदारी की व्यवस्था रिसीवर को दी गई थी ।

यह कि गैर सायल संख्या 01 सहजोर पैसे वाले ताकतवर व्यक्ति हैं जिन्होंने प्रार्थी को भूमि खसरा नंबर 5393 , 5394 पर अतिक्रमण करके 30X40 फुट भूमि पर अतिक्रमण करके मकान बनाने का कार्य दिनांक : 26.12.2008 को किया । मकान निर्माण के समय प्रार्थी ने गैरसायल से तुम हमारी जमीन पर मकान क्यों बना रहे हो तो गैरसायल सं0 01 कैलाश ने कहा कि मैं तुम्हारी जमीन में मकान नहीं बना रहा हूँ मैंने तो जमीन मकान बनवाने के लिए दूसरे नंबर में खरीदी है प्रार्थी ने ज्यादा कहा तो गैरसायल सं0 01 ने कहा कि तुम मुझे रोकने वाले कौन होते हो तुम्हारी खातेदारी तो एस0डी0ओ0 करौली ने समाप्त कर दी है । जब कभी जमीन तुम्हारे खाते में आए और तुम मुकदमा जीत जाओ तब मुझसे कहना मैं अपने मकान को हटाकर जमीन खाली करके तुम्हें संभलवा दूँगा । प्रार्थी ने प्रशासनिक अधिकारियों से इस बावत् कई शिकायत की किन्तु इस बावत् प्रार्थी की कोई सुनवाई नहीं हुई । प्रार्थी नके विरुद्ध दावा भी पेश नहीं कर सकता था क्योंकि एसडीओ साहब करौली के आदेश दिनांक : 21.06.2007 से प्रार्थी की खातेदारी समाप्त कर मंदिर गोविन्द देवजी के नाम घोषित हो गई थी और कब्जा दिनांक : 29.11.2016 को देने से पूर्व तक खातेदारी मंदिर गोविन्द देवजी की होने के कारण सायल दावा पेश करने के योग्य ही नहीं था । अब राजस्व मंडल अजमेर के आदेश दिनांक : 14.09.2016

के तहत सायल को खातेदारी अधिकार प्राप्त हुए हैं जिनका अंकन जमाबन्दी में भी मौजूद है इस कारण से दावा व दर0 विरुद्ध गैर सायलान पेश किया जा रहा है । यह कि सायल एवं गैरसायल के मध्य विवाद अधिक होने पर सायल ने अपनी भूमि का सीमाज्ञान कराने के आदेश प्राप्त किए जिस पर दिनांक : 19.11.2013 को गिरदावर व 02 पटवारी सुल्तान व केसरिया के द्वारा जमीन की माप तौल में गैरसायल नंबर 01 का मकान अतिक्रमण सायल की भूमि पर 30X40 फुट भूमि पर दर्शाया गया । सीमाज्ञान के पश्चात् सायल ने भिन्न-2 तारीखों में जिला कलक्टर , अति0 जिला कलक्टर , उप जिला कलक्टर एवं मुख्यमंत्री राज0 सरकार से उक्त अतिक्रमण को हटाने हेतु निवेदन किया जिन पर जिला कलक्टर करौली ने दिनांक : 20.08.2014 को अतिक्रमण को हटाने के लिए तहसीलदार एवं नगरपरिषद करौली के आयुक्त को आदेशित किया इसके पश्चात् जिला कलक्टर द्वारा दिनांक : 17.09.2014 को आदेशित किया जिसकी रिपोर्ट तहसीलदार करौली द्वारा 08.10.2014 को दी । पुनः जिला कलक्टर करौली ने दिनांक : 19.11.2014 को अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया , दिनांक : 10.10.2014 व पुनः 27.01.2017 को अति0 जिला कलक्टर ने अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए । दिनांक : 07.03.2014 को एसडीओ करौली ने तहसीलदार करौली को आदेशित किया , तहसीलदार करौली ने दिनांक : 31.07.2014 को अपनी रिपोर्ट पेश की उसके पश्चात् पुनः तहसीलदार करौली ने उक्त अतिक्रमण बावत् रिपोर्ट दिनांक : 13.10.2016 को पेश की सभी दस्तावेजों को देखने से पूर्णतः स्पष्ट है कि दौराने रिसीवर भूमि पर किए गए अतिक्रमण को हटवाने की कोई कार्यवाही विधि अनुसार किसी भी प्रशासनिक अधिकारी द्वारा नहीं की गई जिसके फलस्वरूप गैरसायल सं0 01 ने सॉट-गॉट करके सायल की भूमि पर अतिक्रमण करके मकान का निर्माण करते हुए 30X40 फुट भूमि पर अतिक्रमण कर मकान का निर्माण कर लिया । सायल उक्त मकान को ध्वस्त कराकर अपनी भूमि पर कब्जा वापस प्राप्त करने का अधिकारी है । यह कि राजस्व मण्डल के निर्णय के पश्चात् एवं कब्जा दिनांक : 29.11.2016 को प्राप्त करने के बाद 11.01.2017 को सायल ने गैरसायल सं0 01 से कहा कि जमीन का मुकद्मा मैं जीत चुका हूँ खातेदारी मेरे नाम से हो चुकी है आप इस मकान को हटाकर मेरी जमीन मुझे संभलवाओ तो गैरसायल सं0 01 ने इंकार कर दिया और झगडा करने पर आमादा हो गया चूंकि सायल वृद्ध व्यक्ति है लडने की क्षमता नहीं है इसलिए अपने हकूकों हेतु दावा व दर0 न्यायालय श्रीमान्जी में प्रस्तुत कर रहा है । यह कि सायल ने गैरसायल सं0 01 से यह भी कहा कि तुम अपना वयनामा मुझे दिखाओ तो गैरसायल सं0 01 ने उक्त दिवस दिनांक : 11.01.2017 को कहा कि मेरे पास कोई वायनामा नहीं है मैंने तो स्टाम्प पर यह जमीन खरीदी है जिसका इकरारनामा की प्रति गैरसायल सं0 01 ने मुझे सायल को दिखाई सायल ने गैरसायल सं001 से कहा कि यह कच्ची लिखा-पढी है इस लिखा-पढी से खातेदारी या मालिकाना हक प्राप्त नहीं होते हैं गैरसायल सं0 01 द्वारा यदि अपने बचाव में उक्त इकरारनामा पेश करे तो वह कानूनन मान्य नहीं है क्योंकि वह अपंजीकृत व

अनस्टाम्ब होने के कारण शहादत में ग्राह्य योग्य नहीं है तथा खाम दस्तावेजों के आधार पर राज् टीनेन्सी एक्ट के अंतर्गत कोई राईट्स एण्ड टाईटल प्राप्त नहीं होते हैं । ऐसी स्थिति में इस प्रकार इकरारनामे सायल के खातेदारी हक-हकूकों को प्रभावित नहीं कर सकते हैं इसलिए सायल विवादित भूमि का कब्जा गैरसायल सं० 01 से प्राप्त करने का अधिकारी है । यह कि गैरसायल सं० 01 को सायल इस आशय को पाबंद कराने का भी अधिकारी है कि उक्त मकान का अंतरण किसी भी रीति-नीति से किसी अन्य व्यक्ति को नहीं करे तथा सायल को अपनी भूमि के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की कोई रूकावट व बाधा नहीं डाले । यदि गैरसायल सं० 01 के द्वारा दौराने दावा उक्त मकान को बेचा गया तो विवाद बहुलता बढेगी जिसके कारण गैरसायल सं० 01 पाबंद होने योग्य है । दावे के निस्तारण में समय लगेगा यदि दौराने दावा गैरसायल अपने मकसद में कामयाब हो गया तो सायल का दावा करने का मकसद ही फौत हो जावेगा इसलिए दौराने दावा गैरसायल सं० 01 को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायहित में आवश्यक है ।

इस प्रकार सायल द्वारा प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर विवादित भूमि खसरा नंबर 5393 , 5394 कुल किता 02 कुल रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा बाके कस्बा करौली हाथीघटा के पास नेशनल हाईवे 11 बी से लगी हुई भूमि में स्थित 30X40 फुट जिसमें गैरसायल सं० 01 का मकान बना हुआ है को वह उक्त मकान का अंतरण किसी भी रीति-नीति से किसी अन्य व्यक्ति को नहीं करे तथा सायल को अपनी भूमि के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की कोई रूकावट व बाधा नहीं डाले और ना ही किसी अन्य से डलवाए तथा मौके की यथास्थिति बनाए रखने हेतु निवेदन किया । सायल द्वारा अपने दर० प्रार्थना पत्र के साथ 18 प्रकार के निम्नांकित दस्तावेज साक्ष्य में पेश किए :-

- (01) न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर का अपील/डिक्री/टीए/6241/2012 करौली में पारित निर्णय दिनांक : 14.09.2016 की प्रति
- (02) उप जिला कलक्टर करौली में दायर मु० नं० 07/1994 में पारित निर्णय दिनांक : 12.02.1999 की प्रति
- (03) कस्बा करौली 'बी' के आराजी खसरा नंबर 5393 , 5394 की सम्वत् 2072-2075 की पटवारी हल्का द्वारा दिनांक : 25.04.2017 को जारी नकल की छाया प्रति
- (04) कस्बा करौली के खसरा नंबर 5393 , 5394 के नक्शा ट्रेस की फोटो प्रति ,
- (05) मिसल नंबर 83/2013 में दिनांक : 19.11.2013 को खसरा नंबर 5393 , 5394 के सीमाज्ञान की फोटो प्रति
- (06) दिनांक : 29.11.2016 को कस्बा करौली के खसरा नंबर 5393 , 5394 की फर्द कब्जा सुपुर्दगी की छाया प्रति

अपनी एक-दुकक एवं कच्चा खातोदारी खसरा नंबर 5393, 5394 पर ही बताया है, खसरा नंबर 5395 से 15 वर्ष पूर्व नपती करके पक्की पुरखा बाउण्ड्री दीवाल 10 से 15 फुट ऊंची तामीर कर रखी है सायल ने फाट की भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग की भूमि होती है स्वयं वादी ने खसरा नंबर 5393, 5394 की अरसा करीब हाईवे यानि राष्ट्रीय राजमार्ग की चौड़ाई 200 फुट होती है। राष्ट्रीय राजमार्ग के मध्य से एक तरफ 100 मं से 08 बिस्वा भूमि नेशनल हाईवे मं शामिल कर एनएच 11 वी हाईवे बनाया जा चुका है। नेशनल कच्चा करौली मं सउक का विस्तार कर नेशनल हाईवे सं 11 वी मं आराजी खसरा नंबर 5393, 5394 बाहर होने से सायल को कोई अपूर्णाय क्षति नहीं है। यह कि जवाब दर 0 का पैरा नंबर 02 गलत है। मुख्य गैरवारिस के पक्ष मं है प्रतिवादी का मकान आराजी खसरा नंबर 5393, 5394 की बाउण्ड्रीवाल के जिसमें राज्य सरकार द्वारा नल व बिजली के कनेक्शन मकान मं लगे हुए हैं इसलिए सुविधा का संतुलन (5396,5397,5398) की भूमि मं निर्मित है जिनमें प्रतिवादी के परिवार रिहायश 13 वर्ष से वली आ रही है होने से सायल का कोई प्राईमाकैसी कंस नहीं है। प्रतिवादी का मकान खसरा नंबर 5395 की भूमि मं नहीं होकर प्रतिवादी का मकान वाद की भूमि मं निर्मित होने का कोई दस्तावेज (सबूत) नहीं 5395,5396,5397,5398 की भूमि मं निर्मित आबादी एवं विशेष रूप से वादी का पुरखा निर्मित मकान वादी इबारत गलत व स्वीकार नहीं है। वादी का दावा आधारहीन है आराजी खसरा नंबर पेश करते हुए निवेदन किया कि दर 0 पैरा नंबर 01 मं न्यायालय मं दावा प्रस्तुत होना स्वीकार बाकिया जाने के बाद दिनांक : 29.09.2017 को गैरसायल सं 0 01 की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा जवाब दर 0 दिनांक : 04.07.2017 को गैर सायल नं 0 01 की ओर से दावा मं वकालतनामा पेश हो

12.05.2017 से जारी समन की प्रति 03.07.2017 को हुई जा शामिल पत्रावली उपलब्ध है।

गैरसायलान जरिए समन करने के निर्देश दिए गए। गैरसायल सं 0 01 को कमांक : 2063-64 दिनांक :

सायल का अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी

पत्र कमांक : प () एफडीएम/करौली/राजस्व/2013/97 दिनांक : 03.03.2014

दिनांक : 21.11.2016, उपजि/करौली/राजस्व/2016/498 दिनांक : 25.10.2016

(10) उप जिला कलक्टर करौली के पत्र कमांक : उपजि/करौली/राजस्व/2016/2750

राजस्व/2017/225 दिनांक : 27.01.2017 की छाया प्रति

(09) अति 10 जिला कलक्टर करौली का पत्रांक : राजस्व/2016/2512 दिनांक : 10.10.2016

रीडर/98-99 दिनांक : 19.03.2014 की छाया प्रतिया

(08) तहसीलदार करौली का पत्र कमांक : 1034 दिनांक : 08.10.2014, 1077 दिनांक :

13.10.2016, पत्र कमांक : तह/करौली/राजस्व/2014/415 दिनांक : 31.07.2014

2014 की छाया प्रति

(07) जिला कलक्टर करौली का पत्रांक : राजस्व/2014/2173-74 दिनांक : 20.08.2014

राजस्व/2014/2499 दिनांक : 17.09.2014, राजस्व/2014/2930 दिनांक : 19.11.

5396 , 5397 , 5398 पर नहीं बताया है । खसरा नंबर 5395 में प्रतिवादी का मकान निर्मित है उक्त नंबर 5393 , 5394 की वादी ने पुख्ता बाउण्ड्री वाल कर रखी है जबकि प्रतिवादी का मकाना वाद बाउण्ड्रीवाल से बाहर है । प्रतिवादी का मकान और खसरा नंबर 5393 , 5394 के बीच सायल की पुख्ता बाउण्ड्रीवाल 15 वर्ष पूर्व की मौजूद है मुझ गैरसायल का मकान सायल की भूमि में नहीं है खसरा नंबर 5393 , 5394 की बाउण्ड्रीवाल के बाहर है । सायल की उक्त भूमि ठाकुरजी मंदिर गोविन्द देवजी की भूमि होना सायल का स्वीकृत तथ्य है यदि ठाकुरजी मंदिर गोविन्द देवजी की ओर कोई अनाधिकृत दावा पेश कर आपस में साजिश कर निर्णय लिया गया है उससे गैरसायल पाबंद नहीं है । सायल ने कपटपूर्ण तरीके से दावा उनमानी मंदिर गोविन्द देवजी बनाम प्रकाश चंद दावा नंबर 11/94-365/02 न्यायालय उप जिला कलक्टर करौली में पारित डिग्री एवं अपीलें डिग्री राजस्व मण्डल तक की गई । समस्त कार्यवाही कपटपूर्ण कार्यवाही है प्राप्त डिग्री कपटपूर्ण डिग्री है जो अनाधिकृत मंदिर की ओर से तथा कथित कार्यवाही कपटपूर्ण तरीके से चलाई गई है । वादीगण को उक्त दावा करने का मंदिर की ओर से अधिकार हासिल नहीं था मंदिर गोविन्द देवजी एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट है जिसके बावत् दावा केवल रजिस्टर्ड ट्रस्टी द्वारा ही लाया जा सकता है अन्य किसी को उक्त दावा मंदिर की ओर से दावा पेश करने का अधिकार हासिल नहीं था । अनाधिकृत दावा क्षेत्राधिकार विहीन होने से डिग्री अवैध व गैर कानूनन है । जवाब दर0 हाजा पैरा नंबर 02 में दर्ज समस्त हालात अवैध व गैरकानूनी होने से कानूनी मान्य नहीं है । खसरा नंबर 5393 , 5394 ठाकुरजी की खातेदारी की है और ठाकुरजी की ही रहेगी । यह कि दर0 का पैरा नं0 03 गलत होकर स्वीकार नहीं है सायल का कथन गलत है कि मकान प्रतिवादी ख0नं0 5393 5394 की जमीन पर बना है प्रतिवादी का मकान खसरा नंबर 5393 , 5394 में नहीं है वह तो खसरा नंबर 5395 में बना हुआ है । ख0नं0 5393 , 5394 की मौके पर पुख्ता बाउण्ड्री बनी हुई है जो स्वयं सायल ने 15 पूर्व नपतीकर बनवाई थी । ख0नं0 5393 , 5394 की बाउण्ड्री के बाहर खसरा नंबर 5395 में गैरसायल का मकान बना हुआ है इस प्रकार सायल का यह कथन गलत है कि गैरसायल का मकान खसरा नंबर 5393 , 5394 की भूमि पर बना हुआ है । मुझ गैर सायल का मकान सन् 2005 का बना हुआ है सायल का कथन गलत है कि गैरसायल का मकान खसरा नंबर 5393 , 5394 की 30X40 फुट भूमि पर अतिक्रमण कर सन् 2008 को निर्माण कर लिया है वाकिया उजात पैरा नंबर 03 सायल ने मनगढन्त , बनावटी और काल्पनिक दर्ज किए हैं जो गलत होकर स्वीकार नहीं है । सायल ने अपनी ओर से कोई दावा पेश कर कोई घोषणा खातेदारी बावत् खसरा नंबर 5393 , 5394 सक्षम न्यायालय से प्राप्त नहीं की है गैर सायल हक-हकूक खातेदारी खसरा नंबर 5393 , 5394 से पाबंद नहीं है । यह कि दर0 का पैरा नं0 04 गलत और स्वीकार नहीं है दिनांक : 19.11.2013 को कोई भूमि सीमाज्ञान आदेश पर गिरदावर पटवारी केसरिया व सुल्तान पटवारी द्वारा नहीं की गई । यदि सायल साजिशान गैर सायल के मकान को खसरा नंबर 5393 , 5394 में लिखवा लिया है तो वह गलत है गैर कानूनी है । गैरसायल उक्त इकतरण

बदखली करने हेतु निर्देन किया जबकि गैर सायल नं० 01 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपना मकान हुए कस्बा करौली के खसरा नंबर 5393, 5394 में गैरसायल नं० 01 द्वारा अनाधिकृत तरीके से मकान की बहस में सायल के विद्वान अधिवक्ता द्वारा वक्त बहस दर० में प्रस्तुत तथ्यों को दोहराते बहस सुनी गई ।

यह कि दिनांक : 29.09.2017 को प्रार्थना पत्र पर उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की प्रस्तुत की ।

किया गया । गैरसायल द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य में दिनांक : 24.08.2016 की कई मौका रिपोर्ट इस प्रकार गैरसायल द्वारा जवाब दरखास्त प्रस्तुत कर इसे खारिज करने हेतु निर्देन

नहीं है सायल गैर सायल को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करने का अधिकारी नहीं है । मकान पर कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है । यह कि दर० का पैरा नं० 07 गलत और स्वीकार है । ठाकुरजी मंदिर गोविन्द देवजी के विवादित मकान में कोई एक-दुकक नहीं है सायल गैरसायल के 5395 में 30X40 कच कर पुख्ता निर्माण किया है जिससे सायल का कोई संबंध नहीं (दुक-दुकक) नहीं स्पष्ट व स्वीकृत तथ्य है । गैरसायल ने खसरा नंबर 5395 के खालेदार से विवादित भूमि खसरा नंबर होकर स्वीकार नहीं है । खसरा नंबर 5395, 5396, 5397, 5398 से सायल का कोई संबंध नहीं होना है । यह कि दर० का पैरा नंबर 05 गलत होकर स्वीकार नहीं है । यह कि दर० का पैरा नं० 06 गलत सीमाज्ञान की कार्यवाही के परिप्रेक्ष्य में पूर्ववत् समस्त इकतरफा कार्यवाही फर्जी एवं बनावटी साबित होती कार्रगों द्वारा ही सही सीमाज्ञान कराया जाना संभव है दिनांक : 24.08.2016 को उक्त खसरा नंबर की सीमाज्ञान नहीं किया जा सका और रिपोर्ट कि उक्त तकनीकी यंत्रों की सहायता से भू-प्रबंध के दक्ष बाउण्ड्रीवाल की नाप करने पर नक्शे व मौके में काफी अंतर आने से उक्त खसरा नंबरों का सही नक्शे व मौके में काफी अंतर आया उक्त दाऊजी के कोने से जरीब चलाकर खसरा नंबर 5393 खसरा नंबर 5408 उत्तरी पश्चिमी कोना, खसरा नंबर 5389 के दक्षिणी पूर्वी कोने का मिलान करने पर मौके का मिलान किया गया खसरा नंबर 4753 मंदिर दाऊजी गुर्जा के मुहलकिल मुकाम से जरीब चलाकर राजाराम सीना पटवारी आदि द्वारा मौके पर पहुँचकर भूमिगत शीट की छाया प्रति के आधार पर नक्शा व केशरियालाल सीना आकिस कानूनगा मासलपुर भू०/अभिलेख निरीक्षक मासलपुर, सत्तार खाँ पटवारी श्री 5393, 5394, 5395, 5396, 5397, 5398 का सीमाज्ञान तहसीलदार करौली द्वारा गठित टीम श्री आदेश कमांक : एलआर/2016/2853-57 दिनांक : 19.08.2016 की पालना में कस्बा करौली में ख०नंबर मनमाने दर्ज किए हैं जिससे गैरसायल पाबंद नहीं है । दिनांक : 24.08.2016 को तहसीलदार करौली के सीमाज्ञान से पाबंद नहीं है दर० में दर्ज बाकिया उजात गलत है । समस्त तथ्य सायल ने इकतरफा

कस्बा करौली के आराजी खसरा नंबर 5393 , 5394 में नहीं होकर खसरा नंबर 5395 में होना बताते मौके की क्या स्थिति है इसके बारे में मौका रिपोर्ट से ही संभव होना एवं मौका कमिश्नर की रिपोर्ट होने , खसरा नंबर 5393 , 5394 की बाउण्ड्रीवाल होने एवं अपना मकान इससे बाहर होना बताया ।

मेरे द्वारा उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया । पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया ।

गैरसायल नं0 01 ने अपना मकान कस्बा करौली के आराजी खसरा नंबर 5395 में होना बताया है परन्तु गैर सायलद्वारा जवाब एवं बहस के दौरान ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है जिससे यह साबित होता हो कि गैरसायल का मकान कस्बा करौली के आराजी खसरा नंबर 5395 में बना हुआ है । गैर सायल नं0 01 का मकान यदि कस्बा करौली के आराजी खसरा नंबर 5395 में स्थित है तो उसे अपने कथन को साबित करने के लिए दस्तावेजी साक्ष्य भी अपने दर0 जवाब के साथ या बहस के दौरान प्रस्तुत करना चाहिए था परन्तु गैरसायल द्वारा जवाब के साथ या बहस के दौरान कस्बा करौली के आराजी खसरा नंबर 5395 में 30X40 के भूखण्ड को इकरारनामा/विक्रयनामा या रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय करने संबंधी , भूखण्ड पर अपने निर्मित मकान का नजरी नक्शा ... इत्यादि कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है । इसी प्रकार कस्बा करौली के आराजी खसरा नंबर 5395 में मकान निर्माण होने के प्रमाण में नगरपालिका/नगरपरिषद करौली की निर्माण स्वीकृति की कोई सक्षम स्वीकृति भी पेश नहीं की है । अतः गैर सायल नं0 01 के दर0 जवाब में कथन मात्र से ही कस्बा करौली के खसरा नंबर 5395 30X40 के भूखण्ड पर मकान होना साबित नहीं हो जाता जबकि दूसरी ओरसायल द्वारा दर0 के साथ 18 प्रकार के दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए हैं जिनमें दिनांक : 19.11.2013 की सीमाज्ञान रिपोर्ट की छाया प्रति है जिसके अनुसार कस्बा करौली 09 के खसरा नंबर 5393 , 5394 का तहसीलदार करौली के पत्र दिनांक : 24.10.2013 के अनुसरण में गठित राजस्व कर्मियों की टीम द्वारा सीमाज्ञान किया गया है जिसमें अन्य दीगर व्यक्तियों के अलावा श्री कैलाश चंद शर्मा वैद्य जी का 30X40 का पक्का मकान बना होकर सपरिवार निवास करना करना एवं सभी निर्माण पुराने होना अंकित है । इसी प्रकार उप जिला कलक्टर करौली के पत्र क्रमांक : प.() एसडीएम/करौली/राजस्व/2013/97 दिनांक : 03.03.2014 से जिला कलक्टर करौली को भिजवाई गई रिपोर्ट में उल्लिखित है कि " तहसीलदार करौली ने अपने पत्रांक : राजस्व/2014/275 दिनांक : 28.02.2014 से भिजवाई गई रिपोर्ट में अवगत कराया है कि श्री प्रकाश चंद पुत्र स्व0 श्री सुआलाल अग्रवाल निवासी करौली की कस्बा करौली 09 में स्थित आराजी खसरा नंबर 5393 , 5394 रकबा 01 बीघा 12 बिस्वा भूमि राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज रिकार्ड है । इस भूमि पर अतिक्रमण की जाँच में यह तथ्य सामने आया कि इन खसरा नंबरों पर करौली निवासी कैलाश चंद शर्मा

किए गए सीमाज्ञान को गलत या असत्य नहीं बताया है अपितु दिनांक : 24.08.2016 को परिस्थितियों के है कि दिनांक : 24.08.2016 को सीमाज्ञान करने हेतु पहुँचे कार्मिकों द्वारा दिनांक : 19.11.2013 को पूर्व में व उच्च तकनीकी यंत्रों की सहायता से करवाने हेतु अनुरोध किया गया है। अतः इससे यह सिद्ध होता रिपोर्ट के आधार पर इन खसरा नंबरों का सीमाज्ञान व मौका रिपोर्ट भू-प्रबंध विभाग के दक्ष कार्मिकों से करौली के खसरा नंबर 5393, 5394, 5395, 5396, 5397, 5398 के सीमाज्ञान के संदर्भ में फर्द मौका द्वारा सीमाज्ञान किया गया जबकि दूधसी और गैर सायल नं० 01 द्वारा दिनांक : 24.08.2016 को कक्षा 19.11.2013 को एवं गैर सायल नं० 01 एवं श्री उदयमान शर्मा के निवेदन पर पुनः सीमाज्ञान हेतु गठित टीम। अतः इन दरखावजी साक्ष्य से स्पष्ट है कि तहसीलदार करौली के पत्र के अनुसरण में ही दिनांक : अतिक्रमण पाए जाने पर अतिक्रमण को हटाने हेतु 25.04.2014 को नोटिस गैर सायल द्वारा नहीं लिए गए पर तहसीलदार करौली द्वारा पुनः एक टीम का गठन कर सीमाज्ञान के दौरान मौके पर अवैध कब्जा व 31.07.2014 के अनुसार जब स्वयं गैर सायल नं० 01 द्वारा पुनः सीमाज्ञान करने हेतु निवेदन किए जाने फर्जी व बनावटी है इस साबित नहीं किया है। तहसीलदार करौली के पत्र क्रमांक : 415 दिनांक : बताई है परन्तु दिनांक : 19.11.2013 का सीमाज्ञान किस प्रकार गलत व गैर कानूनी व समस्त कार्यवाही के पैरा नं० 04 में इस सीमाज्ञान को गलत व गैरकानूनी बताया है एवं बनावटी हुए समस्त कार्यवाही फर्जी एवं बनावटी भूमि सीमाज्ञान आदेश पर गिरदावर पटवारी केसरिया व सुल्तान द्वारा नहीं करना बताते हुए अपने जवाब खसरा नंबर 5393, 5394 के लिए गए सीमाज्ञान पर प्रश्नचिन्ह लगाते हुए दिनांक : 19.11.2013 को कोई रिपोर्ट की छाया प्रति पेश कर इस रिपोर्ट के आधार पर दिनांक : 19.11.2013 को कक्षा करौली के खसरा नंबर 5393, 5394, 5395, 5396, 5397, 5398 के सीमाज्ञान के संदर्भ में फर्द मौका करौली के खसरा नंबर 5393, 5394 के साथ दिनांक : 29.09.2017 के साथ दिनांक : 24.08.2016 की कक्षा

खसरा नंबर 5393, 5394 में ही 30X40 के भूखण्ड पर मकान बना होना साबित होता है।

सायल के द्वारा पेश दरखावजी साक्ष्यों से गैर सायल श्री कैलाश चंद शर्मा (बैद्य) का कक्षा करौली का नोटिस जारी किए गए परन्तु अतिक्रमणकारियों द्वारा उक्त नोटिसों को लेने से इंकार कर दिया "। अतः कब्जा व अतिक्रमण पाए जाने पर अतिक्रमणकारियों को अतिक्रमण हटाने हेतु दिनांक : 25.04.2014 को किया गया जिसमें भू०३१० निरीक्षक गुल करौली व पटवार हल्का शामिल थे। मौके पर अवैध कराने हेतु निवेदन किए जाने पर तहसील कार्यालय द्वारा सीमाज्ञान करने हेतु पुनः एक टीम का गठन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर भूमि पर अतिक्रमण नहीं करने हेतु अवगत करायी और अपने समक्ष पुनः सीमाज्ञान 31.07.2014 की रिपोर्ट में वर्णित है कि " अतिक्रमणकारी श्री कैलाश चंद शर्मा व श्री उदयमान शर्मा ने इसी प्रकार तहसीलदार करौली के पत्र क्रमांक : तह./करौली/राजस्व/2014/415 दिनांक : (बैद्य) ने 30X40 फुट एवं उदयमान शर्मा ने 30X37 फुट पर पक्का निर्माण (मकान) बना रखा है "।

गं बनाव
रिपोर्ट
T 1
नं
नं

आधार पर भू-प्रबंध विभाग के दक्ष कार्मिकों से व उच्च तकनीकी यंत्रों की सहायता से सीमाज्ञान हेतु निवेदन किया है । गैर सायल का जवाब दर0 में दिनांक : 19.11.2013 को कराए गए सीमाज्ञान गलत व गैरकानूनी बताते हुए समस्त कार्यवाही फर्जी एवं बनावटी बताए जाने का कथन पूर्णतः गलत असत्य एवं अस्वीकार्य है ।

गैर सायल नं0 01 के विद्वान अधिवक्ता का बहस के दौरान मौके की स्थिति मौका स्थिति रिपोर्ट से ही संभव होने एवं मौका कमिश्नर रिपोर्ट नहीं होने का उल्लेख किया । विद्वान अधिवक्ता गैर सायल का बहस में यह कथन इस दर0 प्रार्थना पत्र के निस्तारण को देरीना करने का प्रयास मात्र प्रतीत होता है क्योंकि दिनांक : 19.11.2013 की सीमाज्ञान रिपोर्ट एवं तहसीलदार करौली के पत्र क्रमांक : 415 दिनांक : 31.07.2014 के अनुसार तत्समय कस्बा करौली खसरा नंबर 5393 , 5394 का पुनः सीमाज्ञान हेतु गैर सायल श्री कैलाश चंद शर्मा (वैद्य) व अन्य द्वारा तहसीलदार करौली को अनुरोध करने पर सीमाज्ञान के दौरान गैर सायल श्री कैलाश चंद शर्मा (वैद्य) एवं एक अन्य व्यक्ति श्री उदयभान शर्मा का मौके पर अवैध कब्जा व अतिक्रमण पाए जाने के बाद अतिक्रमण हटाए जाने हेतु जारी नोटिस दिनांक : 25.04.2014 को लेने से इंकार करने से भी इस तथ्य की पुष्टि होती है कि मौका कमिश्नर रिपोर्ट नहीं होने का बहाना लेकर इस दर0 प्रार्थना को जान-बूझकर लटकाए रखने एवं इसके निस्तारण में देरी करने का अनुचित प्रयास मात्र प्रतीत होता है ।

सायल द्वारा अपने दर0 प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत तहसीलदार करौली के पत्र क्रमांक 1034 दिनांक : 08.10.2014 से भी इस तथ्य की पुष्टि होती है कि कस्बा करौली 09 के आराजी खसरा नंबर 5393 , 5394 में मकानों एवं अर्द्ध निर्मित दुकानों को बेदखल करने पर कानून एवं शांति और झगड़े की संभावना व्यक्त करते हुए पुलिस जाप्ता एवं उप जिला कलक्टर करौली को अतिक्रमण बेदखल करने के दौरान उपस्थित रहने हेतु निवेदन किया गया है । तहसीलदार करौली के एक अन्य पत्र क्रमांक : रीडर/98-99 दिनांक : 19.03.1014 की छाया प्रति के अनुसार कस्बा करौली के आराजी खसरा नंबर 5393 , 5394 की खातेदारी भूमि पर कैलाश चंद शर्मा वैद्य व उदयभान शर्मा व अज्ञात व्यक्तियों द्वारा अवैध अतिक्रमण मोके पर पाए जाने का तथ्य अंकित है । अतः इन दस्तावेजी साक्ष्यों से भी कस्बा करौली के आराजी खसरा नंबर 5393 , 5394 में गैर सायल नं0 01 का ही 30X40 के भूखण्ड पर मकान बना हुआ होना साबित होता है ।

दस्तावेजी साक्ष्यों से यह भी सिद्ध है कि गैर सायल नं0 01 द्वारा अपना मकान खसरा नंबर 5393 , 5394 की भूमि तहसीलदार करौली की रिसीवरी में होने के दौरान बनाया है । इस संदर्भ में गैर सायल ने अपने दरखास्त जवाब के बिन्दु सं0 03 में मकान सन् 2005 का बना होना स्वीकार किया

उपरोक्त अधिकारी करौली
(राज्य कुशल माल)
अधिकारी

निर्णय आज दिनांक : 21.11.2017 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया ।

स्वयं वहन करे । निर्णय की प्रति संबंधित को भिजावाई जावे ।

पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर हमकित्ता दावा शामिल हो । खर्चा पक्षकारान अपना-अपना

उलवाएगा एवं मौके की स्थिति को यथावत बनाए रखेगा ।

भूमि के उपयोग उपभोग में किसी भी प्रकार की बाधा एवं रुकावट ना तो स्वयं ना ही किसी अन्य से किसी भी शीति-नीति से किसी भी अन्य दीगर व्यक्ति को रहने-वय नहीं करेगा एवं सायल को अपनी करौली के आराजी खसरा नंबर 5393, 5394 में 30X40 के भूखण्ड पर बना हुआ पुख्ता मकान को किया जाता है । गैर सायल नं० 01 को लाक़सला दावा इस आधार से पाबंद किया जाता है कि कस्बा आदि के परिशेष्य में सायल का दर० प्रार्थना पत्र बावत् अस्थायी निर्धारणा अंतर्गत 212 RT Act स्वीकार अतः पत्रावली पर उपलब्ध दरतावली साध्यों, उभय पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत जवाब, बहस

होना जाहिर है ।

नंबर 2072-2075 की 25.04.2017 को जारी नकल की प्रति से उक्त खसरा नंबरान की भूमि सायल की अजमेर के निर्णय दिनांक : 14.09.2016, कस्बा करौली 'बी' की जमाबन्दी समेत 2072-2075 की खसरा मकान को खस्त करार अपनी भूमि पर कब्जा वापस प्राप्त करने की भी प्रार्थना की है । राजस्व मण्डल सायल ने कस्बा करौली के आराजी खसरा नंबर 5393, 5394 पर गैर सायल नं० 01 के

है ।

अपने कर्तव्यों का निर्वाहन करने में विफल रहे हैं एवं इनकी स्पष्ट रूप से लापरवाही एवं उदासीनता रही मकान का पुख्ता निर्माण कर नियम विकस्य कार्य किया है । अतः तहसीलदार करौली रिसीवर के रूप में , 5394 की भूमि तहसीलदार करौली की रिसीवरी में होने के बावजूद गैर कानूनी एवं अनाधिकृत तरीके से भूमि तहसीलदार करौली की रिसीवरी में थी । अतः गैर सायल द्वारा कस्बा करौली के खसरा नंबर 5393 1999 से दिनांक 29.11.2016 को सायल को कब्जा सुपुर्द करने से पूर्व तक उक्त दोनों खसरा नंबरों की है । अतः इससे यह सिद्ध होता है कि तहसीलदार करौली को भूमि रिसीवरी में देने की दिनांक : 12.02